

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / २४ / 2022


दिनांक : 07  
.01.2022

श्रीमती लोचन खिडिया देवल (RJ0936), तत्कालीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली (उदयपुर) हाल प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भीलवाड़ा को दिनांक 08.10.2021 से 12.10.2021 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 07.10.2021 एवं 13.10.2021 से 15.10.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती देवल की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली (उदयपुर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

इस कार्यालय के आदेश कमांक No. Estt. (RJS)/92/2021 दिनांक 09.10.2021 के द्वारा श्रीमती देवल का स्थानान्तरण प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भीलवाड़ा के पद पर किया गया।

आज्ञा से,


  
06.01.2022  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/105/2015/159

दिनांक : 07.01.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 7329 दिनांक 10.12.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती लोचन खिडिया देवल (RJ0936), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भीलवाड़ा।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली (उदयपुर)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली (उदयपुर)।

  
सहायक रजिस्ट्रार